"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 मई 2017— वैशाख 11, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–34/2017/वाक/पांच (45). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप–धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–10–37/2016/वाक/पांच (71), दिनांक 29–08–2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

अंक, शब्द एवं चिन्ह "30 जून, 2017" के स्थान पर, अंक, शब्द एवं चिन्ह "30 सितंबर, 2017" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ–10–34/2017/वाक/पांच (45). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–34/2017/वाक/पांच (45) दिनांक 28–04–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th April 2017

NOTIFICATION

No. F-10-34/2017/CT/V (45). — In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. F-10/37/2016/ CT/V(71), dated 29th August, 2016, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures, word and punctuation "30th June, 2017", the figures, word and punctuation "30th September, 2017" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–34 / 2017 / वाक / पांच (46). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15–ख की उप–धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–13 / 2017 / वाक / पांच (12), दिनांक 10 मार्च 2017, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

अंक "30–04–2017" जहां भी आये हों के स्थान पर, अंक "30–06–2017" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ–10–34 / 2017 / वाक / पांच (46). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–34 / 2017 / वाक / पांच (46), दिनांक 28–04–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th April 2017

NOTIFICATION

No. F-10-34/2017/CT/V (46). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this departments notification No. F-10-13/2017/CT/V (12), dated 10th March 2017, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures "30-04-2017", wherever they occur the figures "30-06-2017" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–34/2017/वाक/पांच (47). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15–ख की उप–धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–13/2017/वाक/पांच (13), दिनांक 10 मार्च 2017, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

अंक "30–04–2017" के स्थान पर, अंक "30–06–2017" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ–10–34/2017/वाक/पांच (47). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–34/2017/ वाक/पांच (47), दिनांक 28–04–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th April 2017

NOTIFICATION

No. F-10-34/2017/CT/V (47). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this departments notification No. F-10-13/2017/CT/V (13), dated 10th March 2017, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures "30-04-2017", the figures "30-06-2017" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–34/2017/वाक/पांच (48). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15–ख की उप–धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–33/2016/वाक/पांच (65), दिनांक 11 जुलाई 2016, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

अंक ''31–05–2017'' जहां भी आये हों के स्थान पर, अंक ''30–09–2017'' प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ–10–34/2017/वाक/पांच (48). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–34/2017/ वाक/पांच (48), दिनांक 28–04–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th April 2017

NOTIFICATION

No. F-10-34/2017/CT/V (48). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this departments notification No. F-10-33/2016/CT/V (65), dated 11th July 2016, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures "31-05-2017", wherever they occur the figures "30-09-2017" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ—10—34 / 2017 / वाक / पांच (49). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15—ख की उप—धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—10—33 / 2016 / वाक / पांच (66), दिनांक 11 जुलाई 2016, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

अंक "31—05—2017" के स्थान पर, अंक "30—09—2017" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ—10—34 / 2017 / वाक / पांच (49). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—10—34 / 2017 / वाक / पांच (49), दिनांक 28—04—2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th April 2017

NOTIFICATION

No. F-10-34/2017/CT/V (49). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this departments notification No. F-10-33/2016/CT/V (66), dated 11th July 2016, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures "31-05-2017", the figures "30-09-2017" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.